अनुबंध – पत्र

स्टाम्प ड्यूटी – माफ

प्रथमपक्षकार– मध्यप्रदेश शासन मार्फत कलेक्टर शहडोल, जिला शहडोल म०प्र०

द्वितीय पक्षकार– प्राचार्य ~~राज्य शासन~~ केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, शहडोल, जिला शहडोल म०प्र०

प्राचार्य/Principal
KENDRIYA VIDYALAYA
SHAHDOL (M.P.)
PIN 484001

अनुबंधित आराजी का विवरण :-

भूमि स्थित ग्राम कल्याणपुर, ग्राम पंचायत कल्याणपुर, विकास खण्ड सोहागपुर, पटवारी हल्का नं. 26, रा०नि०मं० सोहागपुर नं. 1, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म०प्र० स्थित आराजी खसरा क्रमांक 96 छियान्नवे रकबा 4.82 एकड़ चार एकड़ ब्यासी डिसमिल, खसरा क्रमांक 98 अन्ठान्नवे रकबा 2.00 एकड़ दो एकड़ एवं आराजी खसरा क्रमांक 99 निन्यान्नवे रकबा ~~8.18~~ 5.12 एकड़ ~~आठ~~ पांच एकड़ ~~अठारह~~ बारह डिसमिल कुल ~~तीन~~ छः किता कुल रकबा 15.00 एकड़ पन्द्रह एकड़।

96 का जुज 1.245 हे., ख.नं. 97 का रकबा 0.97 हे. तथा 101 का जुज 0.645 हे.

राज्य शासन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, शहडोल को ग्राम कल्याणपुर तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म०प्र० स्थित उपरोक्त विवरण की आराजी को बिना प्रब्याजि परन्तु नाममात्र रुपये 25.00 पच्चीस मूल्य लेकर केन्द्रीय विद्यालय शहडोल भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

प्राचार्य/Principal
KENDRIYA VIDYALAYA
केन्द्रीय विद्यालय
SHAHDOL (M.P.)
शहडोल (म.प्र.)
PIN - 484001

Preeti Mishra
PRINCIPAL/ प्राचार्य
Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Shahdol (M.P.)/शहडोल (म.प्र.)
PIN - 484001

1- यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसके/जिनके लिए दी गई हो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाए तो शासन को उसे वापस लेने का अधिकार होगा ।

2- यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाए तो उसके मुआवजे की रकम भूमि प्राप्त करने के लिए शासन को भुगतान की गई रकम (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि ग्रहिता द्वारा भूमि की लागत या उसके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी ।

3- यह कि यदि भूमि ग्रहीता की ओर से शर्तों के भंग किए जाने के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा भूमि वापस ले ली जाए तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी कर सकता है :-

(क) यह कि भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा

(ख) भूमि ग्रहिता से यह कहना कि वह इमारत को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अवधि में उसकी मूल स्थिति में ला दे यदि भूमि ग्रहिता इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में ली जायेगी ।

अस्तु यह अनुबंध पत्र उभय पक्षकारान की स्वतंत्र इच्छा व स्थिर चित्त की अवस्था में बिना किसी भय दबाव व प्रलोभन के दो गवाहों के समक्ष पढ़ सुन एवं समझकर तथा अपने हस्ताक्षर कर तहरीर करा दिये कि सनद रहे एवं वक्त पर काम आवे ।

आज दिनांक 7-11-2001 को मुकाम तहसील मेरे प्रारूपानुसार टंकित ।

7/11/01

हस्ता0/कलेक्टर
शहडोल (म0 प्र0)

हस्ता0/गवाहान

(1) आर0 के0 यादव
तहसीलदार सोहागपुर

Signature 07/11/01
कु0 शारदा अग्रवाल
~~स्वा0 स्वा0 ...~~
(2) ना0क0वि0, सोहागपुर

हस्ता0/ग्रहिता

KENDRIYA VIDYA

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ-६-२६९/सात/नजूल/९३   भोपाल, दिनांक

Building file
5.93
29/7/94

प्रति,

कलेक्टर,
शहडोल (म.प्र.)

विषयः- केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को ग्राम कल्याणपुर जिला शहडोल में भूमि का हस्तांतरण.

सन्दर्भः- आपका प्रस्ताव क्रमांक आर.एम./हस्ता.भू./93/3668 दि0 15-9-93

--::--

राज्य शासन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को ग्राम कल्याणपुर तह0 सोहागपुर जिला शहडोल स्थित खसरा नं0 96 रकबा 4.82 एकड़ खसरा नं0 98 रकबा 2 एकड़ एवं खसरा नं0 ~~[illegible]~~ 99/1, 100 रकबा 8.18 एकड़ कुल 15 एकड़ भूमि बिना प्रब्याजि परन्तु नाममात्र रू0 25-00 भू-भाटक लेकर विद्यालय भवन निर्माण हेतु हस्तांतरण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

(1) यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसके/जिनके लिए दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाए तो शासन उसे वापस ले लेगा।

(2) यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाए तो उसके मुआवजे की रकम, भूमि प्राप्त करने के लिए शासन को भुगतान की गई रकम (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि गृहिता द्वारा भूमि की लागत या उसके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

(3) यह कि यदि भूमि गृहिता की ओर से शर्तों के भंग किए जाने के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा भूमि वापस ले ली जाए तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी कर सकता है :-

(क) यह कि भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा

(ख) भूमि गृहिता से यह कहना कि वह इमारतों को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अवधि में उसकी मूल स्थिति में ला दे यदि भूमि गृहिता इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में चली जायेंगी।

...2...